कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/लेखा/डी–2/28001/20–21/ दिनांकः 27..11.2020

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र,

विषयः– अनुपयोगी/नाकारा स्टोर्स निस्तारण अभियान ।

प्रसंगः– प.6 (1) वित्त/साविलेनि/2005 पार्ट–I जयपुर दिनांक 20.07.2020, इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 23.07.2020 एवं 25.08.2020, 23.10.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग के प्रासंगिक परिपत्र द्वारा अनुपयोगी/नकारा सामान के निस्तारण की अभियान अवधि 31.03.2021 तक बढाई गई है । इस क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28001/19–20 दिनांक 18.06.2020 द्वारा अनुपयोगी/नकारा सामान निस्तारण के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा निर्देशों, प्रासंगिक वित्त विभाग के परिपत्र के द्वारा दिये गये शिथिलन एवं वित्त विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही नकारा/अनुपयोगी सामान निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

नकारा/अनुपयोगी सामान निस्तारण व कक्षाकक्ष खाली कराने हेतु माह जुलाई, 2020 तक की सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया था तत्पश्चात माह सितम्बर, 2020 तक सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया था लेकिन सूचनाए प्राप्त नहीं हो रही है । कोविड–19 के कारण माह 7/19 से विद्यालयों में विद्यार्थियों की पढाई नियमित नहीं हो पा रही है । अतः विद्यालय स्टाफ को अनुपयोगी सामान के निस्तारण में इनकी सेवाओं का उपयोग किया जाकर अनुपयोगी सामान का निस्तारण दिसम्बर माह तक आवश्यक रूप से किया जावे लेकिन आपके अधीनस्थ शाला प्रधानों द्वारा अनुपयोगी सामान के निस्तारण में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । अनुपयोगी सामान के निस्तारण की पिछले तीन माह में सूचना बार–बार पत्र लिखे जाने के बावजूद आपके कार्यालय द्वारा सूचनाएं संकलित कर नहीं भिजवाई जा रही है जो कि राजकार्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है । अनुपयोगी सामान के निस्तारण में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे । साथ ही अनुपयोगी सामग्री के 01.04.2020 से 30.11.2020 तक निस्तारण की सूचना निम्नांकित प्रपत्र में दिनांक 08.12.2020 तक अनिवार्य रूप से सम्मेकित कर 08.12.2020 तक निम्नांकित प्रपत्र में दिनांक 01.04.2020 से 30.11.2020 तक ई–मेल **caosecedu@gmail.com** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

प्रपत्र

क.सं	जिला कार्यालय का नाम	दिनांक 01.04.. 2020 को नकारा सामान से सम्बन्धित सूचना		दिनांक 02.04. 2020 से 30.11. 2020 तक नकारा सामान से सम्बन्धित सूचना		दिनांक 30.11.2020 तक नकारा सामान निस्तारण से सम्बन्धित सूचना		दिनांक 30.11. 2020 तक नकाराा सामान के निस्तारण से सम्बन्धित सूचना		अनुपयोगी सामान निस्तारण करना बकाया (शेष) की सूचना		नीलामी से प्राप्त आय
		स्कूलों की संख्या	नकारा सामग्री से भरे हुए कमरों की संख्या	स्कूलों की संख्या	नकारा सामग्री से भरे हुए कमरों की संख्या	स्कूलों की संख्या (3+5)	नकारा सामग्री से भरे हुए कमरों की संख्या (4+6)	स्कूलों की संख्या (7–9)	नकारा सामग्री से खाली हुए कमरों की संख्या (8–10)	स्कूलों की संख्या (7–9)	कमरों की संख्या (8–10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

www.rajteachers.com

मुख्यलेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28001/20–21/ दिनांकः 27.11.2020

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर ।
5. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक राउमावि, रामावि ।
6. प्रधानाचार्य सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
7. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

मुख्यलेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर